

## सं.48: राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश

(करोड़ ₹)

क्र.सं.	राज्य /संघ शासित प्रदेश	दिसंबर 2020 के अंत तक			
		समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ)	गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	निलामी खजाना बिल (एटीबी)
	1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	8471	833	--	-
2	अरुणाचल प्रदेश	1577	2	--	-
3	असम	4625	55	--	-
4	बिहार	7131	--	--	-
5	छत्तीसगढ़	4528	--	1	4550
6	गोवा	608	306	--	-
7	गुजरात	7419	494	--	-
8	हरियाणा	1426	1232	--	-
9	हिमाचल प्रदेश	--	--	--	2300
10	जम्मू और कश्मीर	--	--	--	-
11	झारखंड	185	--	--	-
12	कर्नाटक	4324	--	--	33000
13	केरल	2198	--	--	-
14	मध्य प्रदेश	--	938	--	-
15	महाराष्ट्र	42090	436	--	35000
16	मणिपुर	387	103	--	-
17	मेघालय	681	37	9	-
18	मिज़ोरम	508	40	--	-
19	नगालैंड	1678	34	--	-
20	उड़ीसा	12815	1486	86	19045
21	पुदुचेरी	300	--	--	807
22	पंजाब	949	--	8	-
23	राजस्थान	--	--	129	2000
24	तमिलनाडु	6790	--	40	14762
25	तेलंगाना	5800	1257	--	-
26	त्रिपुरा	381	9	--	-
27	उत्तराखंड	3237	81	--	-
28	उत्तरप्रदेश	763	--	180	-
29	पश्चिम बंगाल	9015	544	214	-
	<b>कुल</b>	<b>127889</b>	<b>7888</b>	<b>666</b>	<b>111464</b>

टिप्पणी : 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य संवैधानिक रूप से मौजूद नहीं है और उस राज्य की देनदारियाँ जम्मू और कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश की देनदारियों के रूप में बनी हुई हैं